

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(2)राज/वाद/18पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 03-03-2019

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड-II, संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/-प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से निम्न अभ्यर्थियों को एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	मेरिट न0	रोल न0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2476	890964	श्री महिपाल सिंह देवड़ा	श्री वीर सिंह देवड़ा	10.08.1993	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सुमेरपुर, पाली
2	2635	663151	श्री रामनिवास चौधरी	श्री घेवर राम	24.01.1994	बीसी	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर
3	4603	821733	श्री ताराचन्द	श्री श्रवण कुमार	12.12.1994	एससी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, सीकर
4	6	254528	श्री विनोद कुमार मेनारिया	श्री गोपाल लाल मेनारिया	31.12.1983	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दूदू, जिला जयपुर
5	106	364803	श्री अनुपम शर्मा	श्री फूलचन्द शर्मा	01.03.1993	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मुण्डावर, अलवर
6	110	706285	श्री दिनेश शर्मा	श्री राजेन्द्र शर्मा	09.08.1992	सामान्य	विशिष्ट लोक अभियोजक, (म0उ0), कोटा
7	181	660400	श्री श्रवण कुमार शर्मा	श्री भल्ला राम शर्मा	10.05.1989	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बालोतरा जिला बाड़मेर
8	205	717333	श्री रजत जैन	श्री अनिल कुमार जैन	07.01.1995	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, छबड़ा, बारां
9	211	119984	श्री अरुण कुमार शर्मा	श्री ओम प्रकाश शर्मा	01.11.1986	सामान्य	शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
10	227	268673	श्री पंकज कुमार शर्मा	श्री सत्यनारायण शर्मा	19.06.1986	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, भवानीमण्डी, झालावाड़
11	299	257798	श्री ओमराज सिंह शेखावत	श्री शिवराज सिंह शेखावत	03.07.1990	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, कोटपूतली, जिला जयपुर
12	316	878744	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत	श्री नन्द सिंह राजावत	21.06.1988	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा, टोंक
13	363	124894	श्री संजय शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	25.12.1984	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं07, जयपुर महानगर
14	368	522508	श्री शशी कान्त शर्मा	श्री रमेश चन्द शर्मा	01.07.1992	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लालसोट, जिला दौसा
15	389	917401	श्री मयंक शर्मा	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	06.12.1993	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, किशनगढ़, अजमेर

(Signature)
3/3/2019

16	413	664763	श्री जितेन्द्र पालीवाल	श्री मोती लाल पालीवाल	30.06.1983	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, जोधपुर महानगर
17	490	752120	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री रामगोपाल शर्मा	09.05.1992	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, परबतसर, नागौर
18	493	125757	श्री दिनेश चन्द शर्मा	श्री भगवान सिंह शर्मा	01.07.1978	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बानसूर, अलवर
19	507	190844	श्री रोहित कुमार शर्मा	श्री अशोक कुमार शर्मा	23.05.1994	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं08, जयपुर महानगर
20	532	399172	श्री नवनीत व्यास	श्री कन्हैया लाल व्यास	15.10.1983	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, बाड़मेर
21	569	464923	श्री हेमन्त सिंह शेखावत	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत	14.04.1989	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सुजानगढ़, चूरु
22	624	182296	श्री अविनाश शर्मा	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	02.11.1992	सामान्य	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
23	639	722945	श्री राजकुमार शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	01.07.1994	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, शाहपुरा, भीलवाड़ा
24	670	755628	श्री अनिल कुमार शर्मा	श्री नन्दकिशोर शर्मा	09.11.1989	सामान्य	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, ब्यावर, अजमेर
25	784	671041	श्री देवेन्द्र गहलोत	श्री भंवर लाल गहलोत	15.08.1995	बीसी	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर
26	826	491700	श्री मुरलीधर धाकड़	श्री कन्हैया लाल धाकड़	15.07.1992	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, चित्तौड़गढ़
27	827	112948	श्री सुशील प्रजापत	श्री अमर चन्द प्रजापत	19.07.1994	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, सांभर लेक, जिला जयपुर
28	847	331859	श्री गंजेन्द्र यादव	श्री रामप्रताप यादव	30.11.1988	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, अलवर
29	929	264079	श्री अजय कुमार सेरावत	श्री छीतर मल सेरावत	05.08.1993	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, कोटपूतली, जिला अलवर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या-965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.18 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. परीक्षाकाल अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफ.डी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13 (1) एफ.डी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफ.डी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के

3/3/2019

नियम 16 के संबंधित लेवल L-5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14600/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधधीन होगा।

4. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड-II) के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी /डीडीबीसी /सान्याअवि/ 2011/68999 -69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची-4 के नियम 16, नोट क्रमांक-4 के अनुसार प्रति वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
9. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
10. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 07 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये, अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें, कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(Name) 3/3/2019

14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
15. संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।
16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक(लिपिक ग्रेड-II) पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
17. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
18. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
19. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

६०

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित अपर लोक अभियोजकगण।
7. संबंधित निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी-I, विधि (वादकरण) विभाग।
10. संबंधित अभ्यर्थी.....।
11. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
3/3/2019

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 7(2)राज/वाद/18पार्ट-2

जयपुर दिनांक. 05-3-2019

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.03.19 द्वारा इस विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक की नवीन नियुक्ति कर पदस्थापन किये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 03.03.19 के क्र०सं० 29 के कालम सं० 8 में अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 3, कोटपूतली जिला अलवर के स्थान पर अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 3, कोटपूतली जिला जयपुर एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. संबंधित जिला कलक्टर, _____।
3. संबंधित कार्यालय _____।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी _____।
8. रक्षित पत्रावली।


05/3/2019

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि